न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 28/2021
जी.सी.एम.एस. नं.: 2021/34

1. चिराग पुत्र गौरव पौत्र हरबंश लाल नाबालिग जरिये कुदरतवली माता ज्योति पत्नी गौरव जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. हरबंशलाल पुत्र मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 5 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. गौरव पुत्र हरबंशलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 5 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
3. सौरव पुत्र हरबंशलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 5 श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
4. रीतू पुत्री हरबंशलाल पत्नी विरेन्द्र कालडा निवासी मोहर सिंह, चौक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
5. गीता पुत्री हरबंशलाल पत्नी मनीष अरोड़ा निवासी कुंजविहार श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 5**
3. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 19.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी चिराग नाबालिग है एवं प्रार्थीया ज्योति के हित प्रार्थी चिराग के समान ही है किसी प्रकार विपरीत हित नहीं है व ज्योति के द्वारा यह वाद जरिए प्राकृतिक संरक्षक पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 33 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 66 प.नं. 181/422 कि.नं. 11/1, 11/2, 12 ता 15, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 का 1.707है. में से 1/6 हिस्सा जमाबंदी खाता सं. 190 में है एवं चक 33 जीबी का मु.नं. 63 प.नं. 181/421 का कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 15 का 3.795है. में से 79/3795 हिस्सा भूमि जमाबंदी खाता सं. 189 में है व चक 33 जीबी मु.न. 63 प.नं. 181/421 का कि.न. 16 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 व मु.नं. 66 प.नं. 181/422 का कि.नं. 1/1, 1/2, 2/[illegible]2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, [illegible] 4 है. नहरी खाला बाग जमाबंदी खाता सं. 191 में है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता यानि प्रार्थी के परदादा मोहनलाल के देहान्त उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई जिस कारण से उक्त वर्णित भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। जिसमें प्रार्थी चिराग का जन्म से ही हक वा हिस्सा निहित है एवं अप्रार्थी सं. 2 जो कि प्रार्थी सं. 1 का पिता है एवं प्रार्थीया ज्योति का पति है जिसका उक्त जद्दी जायदाद में जन्म से ही हक वा हिस्सा निहित है जो कि हरबंशलाल की चार सन्ताने गौरव, सौरव, रीतू, गीता है जो कि रीतू एवं गीता का विवाह धूम धाम से कर दिया गया व

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:59 IST
Reason: SelfAttested

वे अपने अपने ससुराल में सुखी निवास कर रही है इसलिए उनके द्वारा उक्त भूमि में अपना हक वा हिस्सा को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर में मौखिक त्याग किया हुआ है। इस प्रकार हरबंशलाल के नाम से दर्ज भूमि में गौरव का 1/3 हिस्सा है जिसमें से प्रार्थी चिराग का 1/2 हिस्सा बनता है जिसका प्रार्थी स्वयं को खातेदार टिनेन्ट घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है एवं अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। चूंकि वर्णित भूमि जद्दी जायदाद है एवं उसमें अप्रार्थी सं. 2 व प्रार्थी का जन्म से ही हक वा हिस्सा निहित है इसलिए उक्त भूमि का आपसी सहमति से अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा बंटवारा किया हुआ है व 1/5 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी सं. 2 को दिया हुआ है जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज चली आ रहे थे किन्तु अर्सा करीब 6 माह पूर्व आपस में घरेलू बात को लेकर अनबन हो जाने से अप्रार्थी सं. 2 ने बिना कारण प्रार्थी का परित्याग पिछले 6 माह से किया हुआ है व प्रार्थी को भूमि में बनने वाले हक व हिस्सा से महरूम एवं बेदखल जबरन करना चाहता है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने मिलीभगत कर उक्त सम्पत्ति से प्रार्थी को महरूम एवं बेदखल जबरन करने की गर्ज से उक्त भूमि को विक्रय करने के लिए बिकवाली निकाली हुई है व आए दिन लोगों को भूमि में लाकर विक्रय प्रस्ताव् करने लगे जिस प्रार्थी ने मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर पंचायत कर अप्रार्थी सं. 2 का भूमि में जो 1/3 हिस्सा है में से प्रार्थी चिराग का बनने वाला 1/2 हिस्सा को उसके नाम से दर्ज करवाने बाबत कहा तो उन्होंने करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि वे उक्त भूमि को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी को जबरन प्रार्थी के हक व हिस्सा से महरूम एवं बेदखल कर देगे बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्यों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपने हक वा हिस से महरूम जबरन होना पडेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं तृतीय पक्षकारान के हित सृजित होने पर प्रार्थीगण न्याय में अनावश्यक विलम्ब होगा व काश्त आदि में भी भारी असुविधा होगी पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ेगा, मुकदमा बाजी बढेगी काश्त में भारी असुविधा होगी जबकि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर अप्रार्थीगण के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथ दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। राजस्थान सरकार भू धाकर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि जो हरबंशलाल के नाम से दर्ज है को अप्रार्थीगण अन्य किसी को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज व ममनू रहे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 5 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी चिराग नाबालिग होना तथा ज्योति उसकी प्राकृतिक संरक्षक ... स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है क्योंकि ज्योति द्वारा ... हित में सद्भाविक रूप से पेश नहीं किया जा रहा है ... अप्रार्थी सं–2 के साथ चल रही अनबन के चलते ... के परिवार के खिलाफ पेश कर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया ... है। जिससे यह साबित है कि ज्योति ने अपनी वाद प्रार्थी चिराग के हित में पेश नही कर बल्कि स्वंय के हित में पेश किया गया है। कृषि भूमि रिकार्ड का तथ्य है लेकिन उक्त कृषि भूमि में से चक–33 जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा न–66 पत्थर सं–181/422 का किला नं–6, 11/1, 11/2, 12 ता 15, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 का 1.707 हेक्टर नहरी/बाग/खाला भूमि में से 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

हिस्सा व इसी चक के मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–181/421 का किला नं–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 15 का 3.795 हैक्टर में से 79/3795 हिस्सा ही अप्रार्थी सं–1 को विरास्तन प्राप्त होना स्वीकार है। अप्रार्थीगण यहां यह भी स्पष्ट करते है कि मुरब्बा नं–66 पत्थर सं–181/422 का किला नं–6, 11/1, 11/2, 12 ता 15, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 का 1.707 हैक्टर नहरीध्बागध्खाला भूमि मे से 5/6 हिस्सा रकबा व मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–181/421 का किला नं–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 15 का 3.795 हैक्टर में से 0.395 हैक्टर रकबा अप्रार्थी सं–1 की बहनो द्वारा अप्रार्थी सं–1 के पक्ष में दिनांक 6–7–2021 को हक त्याग करते हुऐ दिनांक 7–7–2021 को एक दस्तावेज दस्तबरदारी रोबरू गवाहान तहरीर कर पंजीकृत करवाई गई है जिसका इंतकाल सं–727 दिनांक 20–7–2021 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। इसके अलावा मुरब्बा नं–63 पत्थर सं–181/421 का किला नं–16 ता 19, 20/1, 22/2 21/1, 21/2 22 ता 25 व मु. नं–66 पत्थर सं–181/422 का किला नं–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, की 4.807 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी सं–1 को अपने पिता से जरिए दान पत्र प्राप्त हुई है। समस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं–1 को अपने पिता मोहनलाल से उनके देहांत के बाद विरास्तन प्राप्त नही हुई है। इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि किसी भी प्रकार से जद्दी जायदाद की श्रेणी मे नही आती है। विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं–1 व उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य पुत्रगण, पुत्रींयो का भी बराबर–2 हक वा अधिकार है। अप्रार्थी सं–1 ने अपनी कृषि भूमि का किसी प्रकार कोई मौखिक बंटवारा नही किया है तथा ना ही किसी बंटवारा के तहत किसी को कोई भूमि मौखिक रूप से त्याग/बांट कर दी गई है। इसलिए प्रार्थी समस्त कृषि भूमि मे से कानूनन किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण सं–4 वा 5 द्वारा अपना हिस्सा अभी तक किसी के पक्ष में भी त्याग नही किया है। इसलिए उक्त सम्पति मे अप्रार्थीगण सं 4 वा 5 के हिस्सा से इंकार नही किया जा सकता है। पक्षकार हिन्दू है तथा मिताक्षरा विधि से शासित होते है। अप्रार्थीगण सं–4 वा 5 हिन्दू उत्तराधिकार सशोधन अधिनियम 2005 के प्रकाश में हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज सबुत पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त कृषि भूमि वास्तव मे जद्दी जायदाद है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि मे से किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है। केवल मात्र जद्दी जायदाद लिख देने से भूमि जद्दी जायदाद नही बन जाती है तथा ना ही अप्रार्थी सं–1 ने कोई हिस्सा बांट कर अप्रार्थी सं–2 को दिया है बल्कि कृषि भूमि आज भी अप्रार्थी सं–1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अरसा 6 माह पूर्व अप्रार्थी सं–2 ने प्रार्थी का परित्याग नहीं किया है बल्कि प्रार्थी व उसकी माता ज्योति वर्ष 2019 से अप्रार्थी सं–2 से अलग होकर अपने ननिहाल/पीहर [illegible] में निवास कर रहे है तथा प्रार्थी की माता ज्योति ने अप्रार्थी [illegible] व अन्य के खिलाफ पुलिस थाना चुनावढ में एक प्रथम [illegible] 2020 को दर्ज करवाई थी तथा ग्राम न्यायाल[illegible] ज्योति ने अप्रार्थी सं–2 के खिलाफ 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यव[illegible] कर अप्रार्थी सं–2 से ज्योति स्वंय व प्रार्थी के लिए कुल 4000/– रूपये प्रतिमाह के हिसाब से दिनांक 6–5–2022 के आदेशानुसार दिसम्बर 2020 से लगातार भरण पोषण प्राप्त कर रही है। जब वर्ष 2019 से प्रार्थी अपनी माता के साथ चुनावढ मे निवास कर रहा है तो ऐसी स्थिति में 6 माह पूर्व परित्याग करने का प्रशन ही पैदा नही होता है। प्रार्थी की माता ज्योति की बहुत ही तेज तरार्र व होशियर किस्म की महिला है जो स्वंय अप्रार्थी सं–2 के साथ बतौर पत्नी निवास नही करना चाहती है तथा अप्रार्थी सं–2 व उसके परिवार पर अनूचित दबाव बनाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

आश्य से झूठे मुकदमा बाजी करती आ रही है। इसलिए उक्त मद में अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 द्वारा प्रार्थी को महरूम, बेदखल करना, प्रार्थी द्वारा 10 रोज पूर्व पंचायत करना, ऐसी किसी पंचायत में अप्रार्थीगण द्वारा इंकार करने के समस्त तथ्य स्वतः ही झूठे. निराधार व बेबुनियाद साबित हो जाते है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का वाद कारण ही प्राप्त नही है। प्रार्थी ने केवल मात्र वाद कारण हासिल करने के आश्य से उक्त समस्त तथ्य काल्पनिक दर्ज किऐ है जिसमे कतई लेशमात्र सच्चाई नही है। प्रथमतयः प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक वा अधिकार नहीं है इसलिए किसी भी प्रकार से प्रार्थी के विधिक अधिकारो का कोई हनन नही हो रहा है तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के परिवार के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है जिसे अप्रार्थी सं–1 द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यदि माननीय अदालत द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग तथा अन्य कार्यवाही से वंचित हो जावेगें तथा अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का वाद मियाद बाहर पेश किया होने के कारण निरस्ती योग्य है। प्रार्थी की माता ज्योति शुरू से ही अपने पीहर पक्ष के अनूचित प्रभाव दबाव में रही है जिसकें चलते ज्योति अपने पीहरवालो की मजबुरी बता कर शादी के एक माह बाद ही अप्रार्थी सं–2 व उसके परिवारवालो से रूपयो की मांग करने लगी। जिस पर अप्रार्थी सं–2 व उसके परिवारवालो ने उनकी मजबुरी मानते हुऐ सहायता भी की। तत्पश्चात अप्रेल 2019 मे अपने भाई को मोबाईल दिलाने की जिदद करने लगी। मना करने पर विवाद करने लगी जिस पर अप्रार्थी सं–2 ने ज्योति के भाई योगेश कुमार को महंगा हैण्डसैट लेकर दिया। अगस्त 2019 मे ज्योति व उसकी माता अप्रार्थी स–2 पर अपने परिवार से अलग होने बाबत दबाव देने लगे। अप्रार्थी सं–2 द्वारा इंकार करने पर अप्रार्थी सं–2 व उसके परिवार पर झूठा मुकदमा करने की धमकींया देने लगे तथा ज्योति अप्रार्थी स–2 को कहने लगी कि यदि तुम अपने माता पिता से अलग नही होते हो तो मैं अपने पीहर में ही रहूंगी। जिस पर दिनांक 8–9–2019 को अप्रार्थी सं–2 पंचायत लेकर अपने ससुराल गया लेकिन ज्योति व उसकी माता ने गाली गलोच कर वापिस भेज दिया तत्पश्चासत दिनांक 13–10–2019 को पुनः अप्रार्थी सं–2 पंचायत लेकर अपने ससुराल गया लेकिन फिर उन्होने कोई बात नही सुनी तथा झूठा करवाने की धमकींया देने लगे तथा अप्रार्थी सं–2 की पत्नी यह धमकी देने लगी वह आत्महत्या कर लेगी तथा अप्रार्थी सं–2 के सारे परिवार को मुकदमा में फंसा देगी। जिस पर अप्रार्थी सं–2 ने दिनांक 19–5–2020 को पुलिस थाना श्रीविजयनगर में प्रार्थी की माता ज्योति के खिलाफ प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। तत्पश्चात प्रार्थी की माता ज्योति ने अप्रार्थी सं–2 व उसके परिवारवालो के खिलाफ पुलिस थाना चुनावढ मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं–170/9–12–2020 अंतर्गत धारा 498 (ए), 406 आईपीसी मे मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें पुलिस ने बाद जांच अप्रार्थी सं–2 के खिलाफ चालान पेश किया गया जो मुकदमा आज भी जेर ट्रायल है तथा प्रार्थी व उसकी माता ने भरण प्राप्त करने हेतु ग्राम न्यायालय श्रीविजयनगर में अप्रार्थी सं–2 के खिलाफ 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की है जिस पर अप्रार्थी सं–2 से कुल 4000/– रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 6–5–2022 के आदेशानुसार दिसम्बर 2020 से लगातार भरण पोषण प्रकरण सं–57/2021 मे प्राप्त कर रही है। वर्ष 2019 से प्रार्थी अपनी माता के साथ चुनावढ मे निवास कर रहा है। प्रार्थी की माता ज्योति अप्रार्थी सं–2 को अपने परिवारवालो से अलग होकर रहने तथा अपने पीहरवालो की अनूचित रूपयो, सामान आदि की मांग को पुरा करने के लिए अप्रार्थी सं–2 पर दबाव बनाने पर अप्रार्थी सं–2 ने ज्योति की मांग कोपुरा करने से इंकार करने पर ज्योति स्वंय व नाबालिग पुत्र के माध्यम से

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:59 IST
Reason: SelfAttested

झूठे मुकदमाबाजी कर अप्रार्थी सं–2 व उसके परिवार पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास कर रही है ताकि वह अप्रार्थी सं–2 से अपनी समस्त मांगे पुरी कर करवा सके। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि जो कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से रिकार्ड में दर्ज है अप्रार्थी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 का पुत्र व अप्रार्थी सं. 1 का पोता है जिसका विवादित भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। विवादित भूमि प्रार्थी की जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है, जिससे प्रार्थी विवादित भूमि में से अपने हक व हिस्सा की भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 मिलीभगत करके घरेलू विवाद के कारण प्रार्थी को उसके अधिकारों व हक हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि पर रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को आंशिक भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी शेष भूमि हक त्याग व दान पत्र के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम की भूमि जिसमें अप्रार्थी सं. 2 का 1/3 हिस्सा अंकित करते हुए में से स्वयं प्रार्थी का 1/2 हिस्सा होना अंकित किया है। जबकि अप्रार्थी सं. 2 के साथ साथ अप्रार्थी सं. 3 से 5 का भी हिस्सा निहित है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत अभिवचनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण भूमि विरासत में प्राप्त जदी जायदाद होना अंकित कर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है जो गलत अंकित किया है। प्रार्थी अप्रार्थी को जरिए दान पत्र एवं हक त्याग के द्वारा प्राप्त भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की माता द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से स्वयं के हितों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया है क्योंकि वह अप्रार्थी सं. 2 से प्रार्थी के साथ अलग अपने पीहर रह रही है। प्रार्थी की माता के द्वारा न्यायालय में भरण पोषण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत वह भरण पोषण की राशि भी प्राप्त कर रही है। अप्रार्थीगण पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए अलग–अलग तरीकों से प्रकरण पेश कर रही है। जो कि सद्भावी नहीं है। अप्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड टिनेन्ट है तथा भूमि पर शान्तिपूर्ण काबिज काश्त है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि दान पत्र प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है। विवादित भूमि प्रार्थी जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

4. बहस वकील उभयपक्ष [illegible] अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से विवादित भूमि प्रार्थी जद्दी जायदाद होने तथा उसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित होने के कारण प्रार्थी विवादित भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है, अंकित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र एवं जवाब अप्रार्थीगण के अभिकथनों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी चक 33 जीबी खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:59 IST
Reason: SelfAttested

सं. 189 में दर्ज मु.नं. 63 की कुल 3.795है. नहरी बाग मय खाला भूमि में हरबंशलाल पुत्र मोहनलाल के नाम से 79/3795 हिस्सा खातेदार दर्ज है। चक 33 जीबी खाता सं. 190 में दर्ज मु.नं. 66 की कुल 1.707है. नहरी बाग मय खाला भूमि में हरबंशलाल पुत्र मोहनलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदार दर्ज है। चक 33 जीबी खाता सं. 191 में दर्ज मु.नं. 63 व 66 की कुल 4.807है. नहरी बाग मय खाला भूमि हरबंशलाल पुत्र मोहनलाल के नाम से खातेदार दर्ज है। प्रार्थी की ओर से जमाबंदी चक 33 जीबी खाता सं. 21 जिसमें मु.नं. 63 कि.नं. 1 से 15 की 3.795है. भूमि में से मोहनलाल पि. रामकिशन 1/8 हिस्सा दर्ज है, खतौनी भू प्रबन्ध विभाग चक 33 जीबी खाता सं. 6 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिस अनुसार मु.नं. 63 कि.नं. 1 से 15 की 3.795है. भूमि में से मोहनलाल पि. रामकिशन 1/8 हिस्सा दर्ज है। खतौनी भू प्रबन्ध विभाग चक 33 जीबी खाता सं. 6 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिस अनुसार मु. नं. 63 कि.नं. 16 से 25 व मु.नं. 66 कि.नं. 1 से 15, 18 से 21/2 की कुल 6.514है. भूमि नहरी बाग मय खाला मोहनलाल वल्द रामकिशन के नाम से खारिज करते हुए हरबंशलाल पुत्र मोहनलाल के नाम दर्ज किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से दस्तावेज छायाप्रति अंतिम रिपोर्ट पुलिस थाना चूनावढ़ एफआईआर सं. 170/2020 चार्जशीट नं. 01/2021, प्रार्थना पत्र गौरव धीगड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत, नोटिस मु.नं. 57/21 बाबत अंतरिम निर्वाह भत्ता मा. ग्राम न्यायालय श्रीगंगानगर व ग्राम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया।

प्रार्थी द्वारा चक 33 जीबी के खाता सं. 189, 190 व 191 में अप्रार्थी हरबंशलाल के नाम की समस्त भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा जद्दी जायदाद होने का कथन किया गया है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त समस्त भूमि अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त नहीं हुई है, आंशिक भूमि ही विरासत में प्राप्त हुई है, शेष भूमि हक त्याग एवं दान पत्र के द्वारा प्राप्त हुई है। विवादित भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा है अथवा नहीं, भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है या नहीं का निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर उभयपक्ष से साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में केवल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने अथवा नहीं किये जाने पर ही निर्णय किया जाना है।प्रार्थी द्वारा ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा भूमि प्रार्थी की जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि के रिकार्डेड टिनेंट है ऐसे में यदि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना संभावित हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारक प्रार्थी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 1[illegible].2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:59 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर